विपश्यना

[साधकों का मासिक प्रेरणापत्र]

रजि. नं. १९१५६/७१

पोस्टल रजि. नं. (M) NS (C) 36

वर्ष १० • बम्बई • बुद्धवर्ष २५२४ • चैत्र पूर्णिमा [शक] • दि. १९-४-१९८१ • अंक ११

धन्य हैं, धर्म सेवक !

धन्य हैं धर्म-सेवक जो नितान्त निःस्वार्थभावसे धर्म-शिविरोंके आयोजन और व्यवस्थाका भार हंसते-हंसते वहन करते हैं। धर्म-शिविरकी सफलतामें धर्म-शिक्षकका जितना बड़ा दायित्व और श्रम होता है, इन धर्मसेवकोंका उससे कम नहीं होता। सामान्य साधक इस बातसे अनभिज्ञ ही रहता है कि शिविरकी सफलतामें एक धर्मसेवक कितना बड़ा सहयोग दे रहा है !

शिविरकी तारीखें निश्चित होते ही धर्मसेवकोंका सेवाकार्य आरंभ हो जाता है। उसकी सूचना विपश्यना पत्रिकामें प्रकाशित की जानी आवश्यक है। विपश्यनाका अंक समय पर प्रकाशित करनेके लिए मैटर प्रेसमें भेजना, उसका प्रूफ पढ़ना और छपने पर सभी पुराने साधकोंके पतेपर पोस्ट करना — सारा काम धर्मसेवक ही करते हैं। पत्रिकाके अतिरिक्त हिन्दी और अंग्रेजीमें शिविर-सूचनाके पत्रक छपाए जाते हैं जो कि किसी शिविरार्थी द्वारा पूछ-ताछ किए जाने पर उसे भेजे जाते हैं। जब कोई व्यक्ति शिविरमें सम्मिलित होनेकी रुचि प्रकट करता है तो आवेदन-पत्र सहित शिविरके अनुशासनकी नियमावली भेजी जाती है। किसीके विशेष प्रश्न होते हैं तो धर्म-शिक्षकसे पूछकर अन्यथा सामान्य प्रश्नोंके उत्तर धर्मसेवक द्वारा ही दिए जाते हैं। यों बुकिंगका काम आरंभ हो जाता है। एक साथ अनेक शिविरोंकी सूचना प्रकाशित होती है अतः सबसे समीपवर्ती शिविरकी अधिक, परन्तु आगेके अनेक शिविरोंकी बुकिंगके भी आवेदन-पत्र आने ही लगते हैं। जिन्हें जिस-जिस शिविरमें स्वीकृति दी जाती है, उस-उस शिविरकी तालिकामें उनका नाम, पता तथा प्राप्त विवरण दर्ज किए जाते हैं।

धर्मसेवकको यहींसे शिविरार्थीका सहयोग आवश्यक हो जाता है। जो शिविरार्थी समझदार और जिम्मेदार होते हैं वे प्रवेश-पत्रमें पूछे गए सभी प्रश्नोंका ठीक-ठीक और पूरा उत्तर देते हैं। परन्तु कुछ एक लापरवाह होते हैं और इन प्रश्नोंका महत्व नहीं समझते। वे उत्तर अधूरा देते हैं अथवा नहीं ही देते और इस कारण धर्म सेवकके लिए ही नहीं बल्कि अपनेलिए भी कठिनाई पैदा कर लेते हैं। आवेदन-पत्रके सारे प्रश्न सार्थक होते हैं, निरर्थक एक भी नहीं। इन्हीं सूचनाओंके आधारपर धर्मसेवक शिविर आरंभ होनेके एक सप्ताह पूर्वसे ही व्यवस्थाका काम शुरू कर देते हैं। शिविरार्थी नया है या पुराना ? पुराना है तो कितना पुराना ? देशी है या विदेशी ? हिन्दी समझता है या नहीं ? पुरुष है या महिला ? किस उम्रका है ? रोगी है या निरोगी ? रोगी है तो कैसे रोगसे पीड़ित है ? इन जानकारियोंके आधारपर शिविरार्थियोंके लिए निवास-स्थान निर्धारित किए जाते हैं। ताकि प्रत्येक साधकको उसकी आवश्यकता और योग्यताके अनुसार अनुकूल स्थान मिले और वह शिविरका अत्यधिक लाभ ले सके। शिविरार्थी जब आवेदन-पत्रके साथ पूरा विवरण दे देता है तो व्यवस्थापकका काम समय पर तैयार रहता है। शिविर आरंभ होनेके दिन जब थोड़ेसे समयमें इतने लोगोंकी भीड़ एक साथ एकत्र होती है तो उन्हें देर तक विद्यापीठके बाहर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। यदि लोगोंके आनेके बादही यह विवरण प्राप्त हो तो स्थान-निर्धारणके काममें देर लगनी स्वाभाविक है और अनेकोंको मुख्य द्वारके समीप बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी ही पड़ती है।

एक और बड़ा कारण है जिसकी वजहसे लोगोंको लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अनेक लोग इस मानेमें लापरवाह होते हैं कि बुकिंग न भी कराई तो क्या हुआ, जाने पर किसी न किसी प्रकार स्थान तो मिल ही जायेगा – अतः बिना बुकिंगके ही चले आते हैं। ऐसे बिना बुकिंग कराए आने वालोंमें नए ही नहीं, कई पुराने साधक भी होते हैं। यह सच है कि धर्म-शिक्षककी मनोभावनाके अनुकूल धर्मसेवक भी यही चाहते हैं कि धर्म-गंगाके समीप पहुँचकर कोई साधक प्यासा न लौट जाय। परन्तु इस मैत्री पूर्ण सद्भावनाका

धम्म वाणी

सब्ब दानं धम्मदानं जिनाति,
सब्ब रसं धम्मरसं जिनाति।
सब्ब रतिं धम्मरतिं जिनाति,
तण्हक्खयो सब्ब दुक्खं जिनति॥

— धम्मपद २४/२१

धर्मका दान सब दानोंको जीत लेता है, याने सब दानोंसे श्रेष्ठ है। धर्मका रस सब रसोंको जीत लेता है, याने सब रसोंमें श्रेष्ठ है। धर्ममें रमण करना सभी रमण-सुखोंको जीत लेता है, याने सब रतियोंमें श्रेष्ठ है। तृष्णाक्षय सब दुःखोंको जीत लेता है, याने सबसे श्रेष्ठ सुख है।

दुरुपयोग करना उचित नहीं है। यदि आनेके पूर्व तार या टेलीफोन द्वारा भी सूचित कर दें तो व्यवस्थापक समय रहते उचित व्यवस्था कर लें।

बिना बुकिंग और बिना पूर्व सूचनाके शिविरमें चले आना जिस प्रकार कठिनाई पैदा करता है उसी प्रकार बुकिंग करवाकर बिना सूचना दिए गैर हाजिर रह जाना भी कठिनाईका कारण बनता है। यह सही अनुमान तो कैसे लगाया जाय कि बुकिंग करा लेनेवालोंमें से कितने लोग नहीं आयेंगे? और किस प्रकारके लोग नहीं आयेंगे? कभी यह संख्या दस प्रतिशत ही होती है तो कभी पचास प्रतिशत तक पहुँच जाती है। बुकिंग करा लेनेके बाद किसी अपरिहार्य कारणसे आना न हो सके, यह समझमें आ सकता है। परन्तु गैरजिम्मेदारी उनकी होती है जो न आ सकनेकी सूचना तक नहीं देते। यदि आना संभव न हो तो कमसे कम सप्ताह पूर्व ही सूचना भेज दें। किसी कारणवश एकाएक या संकटापन्न अवस्थामें आना रुका है तो एकाध दिन पूर्व ही तार या टेलीफोनसे सूचना भेज देने पर व्यवस्थापकको बड़ी सहूलियत मिलती है।

शिविरकी बुकिंग कभी-कभी सप्ताह पूर्व और कभी-कभी पन्द्रह दिन पूर्व बंद कर देनी होती है। विद्यापीठ में दो सौ साधकोंके सुविधापूर्वक रहनेकी समुचित व्यवस्था है। कभी ढाई सौ तक आ जाँय तो किसी प्रकार परस्पर असुविधाओंको सहन करते हुए काम चलाया जा सकता है। परन्तु इससे अधिक हो जाँय तो अत्यधिक कठिनाईका सामना करना पड़ता है। बुकिंग करा करके न आनेवालोंकी सही सूचना न मिलनेके कारण अनुमानके आधार पर तीन सौ नाम आ जाने के बाद बुकिंग रोक दी जाती है ताकि दो सौ या अधिक से अधिक ढाई सौ तक को स्थान दिया जा सके। परन्तु अंतिम दिन तक अनेक लोगोंके अत्यंत आग्रहभरे अनुरोध-पूर्ण पत्र व टेलीफोन आते रहते हैं। उन्हें मजबूरीवश ना कहना पड़ता है। जो शिविरार्थी बुकिंग कराकर अंतिम दिन तक भी न आनेकी सूचना नहीं भेजता वह नहीं समझता कि अपनी नादानीके कारण कितने बड़े दोषका भागी बन रहा है! न खुद धर्मरस का पान कर सका और न ही अपने स्थान पर किसी अन्य आतुर दुखियारे को अपनी प्यास बुझाने दी। बिना पूर्व सूचना दिए गैर हाजिर रह जाना सचमुच बड़ी दोषपूर्ण बात है।

इसी प्रकार बिना पूर्व सूचना दिए चले आना भी कम दोषपूर्ण नहीं है। ऐसे लोगोंको विद्यापीठकी सुरक्षित भूमिके बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब तक शामकी अंतिम गाड़ीके यात्री न आ जाँय तब तक व्यवस्थापक उन्हें प्रवेश देने में असमर्थ होता है। जिसने बुकिंग कराई है उसे तो प्राथमिकता देनी ही होगी। पिछले मार्च के शिविरमें ऐसी ही अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुई। संख्या तीन सौ तक पहुँचने पर बुकिंग रोक दी गयी। जो लोग बिना सूचनाके अनुपस्थित रहे सो तो रहे पर बिना अनुबद्ध कराए आने वालोंकी संख्या इतनी अधिक थी कि कुल मिलाकर तीन सौ से भी अधिक लोग आ गए। बहुत बड़ी संख्यामें लोगोंको विद्यापीठके प्रांगणके बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ी जो कि शिविरार्थियों और सेवकों दोनोंके लिए बड़ी अप्रिय स्थिति रही। रात आठ बजे शिविर आरंभ कर देना होता है जबकि साढ़े सात बजे तक अंतिम गाड़ीकी प्रतिक्षा करनी होती है। इस बचे हुए थोड़ेसे समयमें लगभग एक सौ व्यक्तियोंका विवरण तैयार करना और उनके लिए एक-एकके अनुकूल स्थान निर्धारित करना वह भी ऐसी अवस्थामें जबकि स्थान लगभग पूरी तरह भर चुका हो, कितना कठिन काम है? यह वही समझ सकता है जो व्यवस्थाका भार संभालता है!

नया शिविरार्थी गैरजिम्मेदारीका व्यवहार करे तो किसी सीमा तक क्षम्य है परन्तु अनेक बार ऐसी गलतियाँ पुराने साधक करते रहते हैं। कई बार ऐसी स्थिति सामने आती है कि कोई पुराना साधक लिखता है...वह आपने साथ "इतने" साधक और ला रहा है, उनके लिए जगह अवश्य रखें। इन व्यक्तियोंके न नाम भेजता है, न अन्य विवरण। अब उन्हें किस श्रेणीमें रखा जाय...नया-पुराना, पुरुष-महिला? जब ऐन वक्त पर आ गए तो ही उनके विवरण मालूम करके समुचित व्यवस्था करनी पड़ती है। कभी-कभी यह भी होता है कि पुराना साधक अकेला आकर कहता है-इतने लोग आने वाले तो थे परन्तु किसी कारणवश नहीं आ पाए। भला मानुस! एक दिन पूर्व भी उनके न आनेकी सूचना देनेकी जिम्मेदारीको नहीं समझता!

कुछ पुराने साधक ऐसे भी हैं जिन्होंने आवेदन-पत्र स्वयं साइक्लोस्टाइल करवा लिए हैं और भरवाकर अपने इष्ट-मित्रोंकी बुकिंग करवा लेते हैं। परन्तु उन्हें अनुशासन के कड़े नियम नहीं समझा पाते। ऐसी घटनाएँ अक्सर होती हैं कि पुराने साधकके उत्साह बाहुल्यसे भेजा हुआ साधक शिविरके कठोर अनुशासनसे घबराकर धर्मसेवकोंसे रोषपूर्ण व्यवहार करता हुआ कहता है, "इतना कठोर अनुशासन हमें पहले क्यों नहीं बताया गया?" पूछने पर कहता है हमारे मित्रने हमें नियमावली पढ़नेके लिए ही नहीं दी। इस नए साधकने बिना नियमावली पढ़े आवेदनपत्र पर वचनबद्ध होकर हस्ताक्षर करनेकी भूल की सो तो की ही, उससे बड़ी भूल उस पुराने साधककी है जो उसे नियमावली पढ़वाए बिना ही शिविरमें भेज दिया। शिविरमें आया हुआ ऐसा व्यक्ति अनुशासनकी गंभीरताको बिल्कुल नहीं समझता। अपनी भी हानि करता है, औरोंकी भी हानिका कारण बनता है। व्यवस्थापकोंके लिए बोझ बन जाता है। ऐसे लोग अनुशासनका उल्लंघन करते हुए अवकाशके समय ग्रुप बनाकर गप्पें लगाते हैं। ध्यानके समय आराम करते हैं अथवा नहाने और कपड़ा धोनेमें समय बिताते हैं। ध्यान-कक्षके बाहर चहलकदमी करते हैं, यहाँ तक कि अधिष्ठानके समय भी घंटे भर ध्यानमें नहीं बैठते। रात देर तक नहीं सोते, निवास स्थान पर गप्प-गोष्ठी चलती है। गंभीर साधकोंके प्रति तप-शत्रु होनेका दोष बांधते हैं। स्पष्ट है कि उन्हें शिविरके अनुशासनकी गंभीरतासे जरा भी अवगत नहीं कराया गया।

कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है की कोई नया साधक आकर कहता है कि वह तो केवल पाँच या सात दिनकी ही छुट्टी लेकर आया है, पूरे दस दिन नहीं रह सकता। कोई कहता है आज मेरा कोर्ट में केस है, एक दिनके लिए तो जाना ही होगा। कोई कहता है घरमें बच्चा बीमार है, एक बार तो घर जा कर आना ही होगा। स्पष्ट है कि शिविरमें शामिल होनेके बाद अनिवार्य रूपसे दस दिन तक यहाँ रहनेका कड़ा नियम उन्हें बताया तक नहीं गया।

आचार-संहितामें स्पष्टरूपसे बताया गया है कि विद्यापीठमें रहते कोई साधक कर्म-कांड, पूजा-पाठ, भजन इत्यादि नहीं करेगा परन्तु फिरभी धर्म सेवकको बार-बार शिविर-कालमें इन बातोंको बन्द करवानेका अप्रिय कार्य भी करना पड़ता है। यह भी स्पष्ट कहा गया है कि लोग शिविरमें गण्डे, ताबीज, माला आदि मंत्राभिषिक्त वस्तुएँ धारण करके न बैठें, तब भी कोई साधक इस चेतावनीकी अवहेलना करके उन्हें छिपाकर पहने रहता है और जब शिविरमें आगे चलकर अपने मनके भीतर शल्य-क्रियाकी सी गहन एवं मार्मिक प्रतिक्रियाएँ चलने लगती हैं और कठिनाइयाँ उभरती हैं तो असलियतका पता चलता है कि साधक-साधिकाने नियमोंका पालन नहीं किया है। अतः फिर एक अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है जब कि साधकसे उसे उतारकर व्यवस्थापकके पास रखने और यदि वह तैयार न हो तो शिविर छोड़ देनेके लिए कहा जाता है।

अनेक कृतज्ञ और उदार साधक धन्यवादके पात्र हैं जिनके दान-स्वरूप विद्यापीठमें कुछ खाटें, तकिए, गद्दे और मच्छरदानियाँ आदि उपलब्ध हैं। परन्तु अभी भी पर्याप्त संख्यामें ओढ़ने-बिछानेकी चद्दरें, कम्बल आदि नहीं हैं। अतः साधकसे इन्हें अपने साथ लानेका अनुरोध किया जाता है। फिर भी देखा गया है कि नए तो नए, कभी पुराने साधक भी इनके बिना ही आ जाते हैं और इनकी मांग करते हुए व्यवस्थापकको कठिनाईमें डाल देते हैं। नहीं मिलने पर लोग गद्दों पर ही सो जाते हैं और उन्हें गंदा कर देते हैं। कोई विशेष आवश्यकताकी छोटी-मोटी वस्तु मंगानी हो तो गांवके बाजार से व्यवस्थापक मंगा देते हैं। परन्तु जिन वस्तुओंको अपने साथ लानेके लिए कहा गया है उन्हे तो साधक अपने साथ ही लाए।

एक और समस्या रेल्वे टिकट बुकिंगकी आती है। इस छोटेसे स्टेशन पर अभी तक गीतांजलि एक्सप्रेसको छोड़कर अन्य किसी गाड़ीमें आरक्षण-टिकटें देनेकी व्यवस्था नहीं है। दस दिनके थोड़े समयमें बम्बईसे तार देकर मंगवाना भी आसान नहीं, विशेषकर ग्रीष्मावकाशके समय तो बिल्कुल नहीं। अतः साधक यहां आनेकी टिकट बुक कराते समय यदि अपनी वापसी यात्राकी टिकट भी वहींसे बुक कराकर आए तो समय रहते कान्फर्मेशन मिलनी आसान हो जाय।

नियमावलीको बिना पढ़े, समझे और स्वीकार किए चले आनेके कारण इस प्रकारकी अनेक कठिनायाँ सामने आती रहती हैं जिससे न केवल धर्मसेवक बल्कि स्वयं साधक भी कष्टका भागी बनता है और यथोचित धर्मलाभसे वंचित रह जाता है।

निश्चितरूपसे विद्यापीठमें आने वाले सभी साधक इस प्रकारकी गैरजिम्मेवारीका व्यवहार नहीं करते अन्यथा एक भी शिविर सफलता-पूर्वक संपन्न न हो पाता। सच्चाई यही है कि अधिकांश संख्यामें साधक गंभीरतापूर्वक समर्पितभावसे ही काम करते हैं फिरभी जो थोड़ेसे लोग गैरजिम्मेदाराना व्यवहार करते हैं उससे शिविरकी गंभीरता नष्ट होती है और सबके लिए कठिनाई पैदा होती है।

जो साधक शिविरके दौरान अनुशासन पालन नहीं करते, बेचारा धर्मसेवक उनके पीछे-पीछे भागता रहता है और उनसे आर्य-मौन पालन करते हुए समय-सारिणीके अनुसार काम करते रहनेकी प्रार्थना करता रहता है।

ऐसी समस्याओंसे जूझते हुए धर्मसेवकको लगता है कि वह पुलिसवालों केसे काममें लगकर साधकों के तिरस्कारका केन्द्र बन चला है। कुछ साधक तो कभी-कभी धर्मसेवकके प्रति अत्यंत अशोभनीय व्यवहार करते हैं। ऐसे साधकोंको समझना चाहिए कि धर्मसेवक अपना कोई स्वार्थ साधने अथवा अपने लाभके लिए काम नहीं करता। अपितु वह केवल धर्म-शिक्षकके निर्देशनों पर काम करता है और निःस्वार्थरूपसे दूसरोंका सहायक बनता है ताकि वे साधनाकी यह विद्या सीखकर अपने दुःखोंसे मुक्त हो सकें। यदि कोई व्यक्ति इस विधिका एवं आचार्यका आदर करता है तो उसे इन धर्मसेवकोंके प्रति सहयोग और सहानुभूति का भाव रखना ही चाहिए जो कि आचार्यके प्रशिक्षण-कार्यमें मात्र सहायक है। अनुशासनका पालन किए बिना कोई व्यक्ति अभ्यासमें निरन्तरता नहीं ला सकता और बिना निरंतरता लाए अपने मानसकी गहराइयोंका आपरेशन नहीं कर सकता।

धर्मसेवक ने स्वयं धर्मरस चखा है और स्वानुभवोंसे जान गया है कि "सब्ब रसं धम्मरसं जिनाति" धर्मका रस सब रसोंसे बढ़कर है। और इसीलिए यह भी जान गया है कि "सब्बदानं धम्मदानं जिनाति" याने धर्मका दान ही सर्वोपरि है। इसी कारण धर्मदानके महान यज्ञमें अपनी निःस्वार्थ सेवा अर्पित करता है। ताकि अधिकसे अधिक दुखियारे दुःखमुक्त हों। ऐसे मंगलभावी धर्म-स्वयं-सेवकके सेवाकार्यमें सहयोग दें!

जो पुराने साधक नयोंको उत्साहित करके शिविरमें भेजते है वे भी स्वयं धर्मरस चख चुके हैं और इसीलिए औरोंको धर्मरस चखने भेजते हैं परन्तु उनमेंसे जो उपरोक्त भूलें करते हैं, उन्हें भविष्यमें सावधान रहना चाहिए। जिसे भी भेजे, शिविरके कठोर अनुशासनके प्रति पूरी जानकारी देकर ही भेजे ताकि वह गंभीरतापूर्वक काम करके अपना भी भला साध सके तथा औरोंके भलेमें भी सहायक बन सके।

दस दिन गृह-त्यागकर किसी शिविरमें सम्मिलित होना सरल नहीं है। जो आएँ वे धर्मलाभसे वंचित न रह जाँय। सभी धर्मरस चखें और अपना मंगल साधें!

मंगल मित्र

स. ना. गो

विदेशों में आगामी शिविर

June 14-June 25 No. **196**	Massachusetts. U. S. A.
contact :	Teri Keane, R. D. 1, Box 14a, Delhi New York 13753 tel. 747/3749
July 3-July 14 No. **197**	Wiltshire ENGLAND.
contact :	International Med.- Centre, Splatts House, Heddington, near Calne, Wiltshire SN11. OPE tel. 0380-850238
Aug. 13-Aug. 24 No,**199**	Kyoto, JAPAN.
contact :	Steve Schmandt, 17 Zenami-cho, Mukaijima, Fushimi-ku, Kyoto 612. tel. (075) 621-4611
Sept. 1-Sept. 12 No. **200**	California, U. S. A.

आगामी शिविर

शिविर क्रमांक : १९४ **इगतपुरी** (वि. वि. वि. धम्मगिरि) दि- १०–५–८१ से २१–५–८१ तक (हिन्दी)

(यह पूरी तरह भर चुका है। कृपया इसके लिए आवेदन पत्र नहीं भेजें।)

जिन्होने बुकिंग करायी है, यदी किसी कारणवश शिविर में सम्मिलित न हो सकते हों तो कृपया तुरंत सूचित करें ताकि प्रतिक्षारत अन्य अनेक लोगोंको स्वीकृति दी जा सके।

शिविर क्रमांक : १९५ **जयपुर** (विपश्यना केन्द्र, धम्मथली, गल्ताजी रोड) दि. २५–५–८१ से ५–६–८१ तक (हिन्दी)

संपर्क : श्री श्यामसुन्दर मूंदडा, जी–१/ए, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–३०२ ००१ (राज.) फोन–६३३२२/६५४१४ कार्या. तार–डॉली

शिविर क्रमांक : १९८ **हैंदराबाद** (विपश्यना अन्तर्राष्ट्रीय साधना केन्द्र, १२.६ कि. मी. नागार्जुन सागर रोड, कुसुम नगर) दि. २१–७–८१ से १–८–८१ तक (हिन्दी)

संपर्क सूत्र : १) श्रीमती उषा पी. मेहता, ६१, श्रीनगर कॉलोनी, हैदराबाद–५०००७३(आं. प्र.) फोन : ३०२९१ अथवा

२) श्री पूरनमल अग्रवाल, द्वारा होटल राजधानी, सिद्दिअम्बर बाजार, हैदराबाद–५०० ०१२ (आं. प्र.) फोन : ५७५७१

सूचना : १) कृपया साधना शिविर में शामिल होने से पूर्व शिविर–व्यवस्थापक के पास अपना नाम रजिस्टर करा लें।

२) शिविरों के नियम कड़े होते हैं। उनका कड़ाई से पालन कर सकें तो ही भाग लेना चाहिए।

तार : डॉली फोन : ६७८४७/६५४१४

मेसर्स शिव शंकर एण्ड कंपनी

जी १/ए, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर–३०२ ००१. (राज.)

की मंगल कामनाओं सहित

↓

दूहा धरम रा

धन आयां अकड़न बढी, करड़ो हुयो कठोर ।
धन छूट्यां ब्याकल हुयो, दुख को ओर न छोर ॥
धरम समायो चित्त मँह, बदल गयो इनसान ।
धन आयां करुणा जगी, जायां समतावान ॥
धरम स्वाद चाख्यो नहीं, रहूयो दुखी दिन रैन ।
जन जन दुख बांटत रह्यो, कर्‌यो घणां बेचैन ॥
ज्यूं ही चाख्यो धरम रस, पुलकित होग्या प्राण ।
इसो धरम रस सै चखै, सैं को हो कल्याण ॥
दुखियारां सूं जग भर्‌यो, सुखियो दिखै न कोय ।
धरम जग्यां गांठ्यां खुलै, साचो सुखियो होय ॥
जिण बिधि मेरा दुख कट्या सैं का दुख कट ज्याय ।
सुद्ध धरम सब नै मिलै, हिवड़ै सांति समाय ॥

दोहे धर्म के

विषयों में करते रमण, मन मद मुदित होय।
रमण करे जब धरम में, सब रति फीकी होय ॥
रूप शब्द रस रति जगे, गंध स्पर्श प्रिय होय।
पर चाखे जब धरम रस, सब रस नीरस होय ॥
अन्न वस्त्र गृह दान दे, औषधि विद्या दान।
पर इन सब से श्रेष्ठ है, शुद्ध धरम का दान ॥
धरम मिले तो सुख जगे, दुक्ख उखड़ता जाय।
तृष्णा की तड़पन मिटे, तृप्ति सुधा रस पाय ॥
जो भी चाखे धरम रस, मन्द पड़े दुख द्वन्द।
प्यास बुझे, प्रजलन मिटे, चित्त भरे आनंद ॥
धरम चाख मन मुदित हो, अणु अणु पुलकित होय।
धरम बांट मन मुदित हो, जन जन हर्षित होय ॥

सयाजी ऊ बा खिन मेमोरियल ट्रस्ट के लिए मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक : रामप्रताप यादव, ग्रीन हाऊस, २ री मंजिल, ग्रीन स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई २३. टेलीफोन : २१३५१०. ● मुद्रण स्थान : अक्षरचित्र मुद्रणालय, सातपुर, नासिक ४२२ ००७. टेलिफोन ८८२५१ ● पत्रिका में विज्ञापन दर : आधा पृष्ठ रू. ५००/–, चौथाई पृष्ठ रू. २५० /– ● वार्षिक शुल्क रू. ५/–, आजीवन शुल्क रू. ५१/–

विपश्यना"

पो. रजि. नं. (M) NS (C) 36

Licence No. NS 18
Licensed to post without pre-payment

प्रेषक :

सयाजी ऊ बा खिन मेमोरियल ट्रस्ट
विपश्यना विश्व विद्यापीठ
धम्मगिरि, इगतपुरी–४२२ ४०३.
(नासिक, महाराष्ट्र)